प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 17.08.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

कुशीनगर पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों पर कसा गया शिकंजा,

साइबर अपराधी द्वारा ए0टी0एम0 बूथ का फायदा उठाकर 'आँनलाईन फ्राड' करके उड़ाया पैसा साइबर सेल कुशीनगर द्वारा कराया गया वापस।

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को फरियादी गोपाल कुमार केडिया सा0 हाटा ने प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि प्रार्थी के भारतीय स्टेट बैंक हाटा के बचत खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रु0 21200/- निकाल लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए जांच में पाया कि फरियादी गोपाल कुमार केडिया के ए0टी0एम0 मशीन से पैसा निकालते समय ही साइबर अपराधियों द्वारा उनका डाटा **(ए0टी0एम0 कार्ड नं0, सी0वी0वी0नं0 व पासवर्ड)** चोरी कर लिया गया था। जिसकी भनक तक फरियादी को नही लगी थी। और बाद में साइबर अपराधियो द्वारा फरियादी के खाते से पैसा निकालना शुरू कर दिया गया। जब फरियादी के पैसा निकलने का मैसेज फोन पर आना शुरू हो गया तो तुरन्त फरियादी ने अपना खाता व ए0टी0एम0 कार्ड दोनों फ्रिज करा दिया गया। परन्तु तब तक साइबर अपराधियों द्वारा रू0 21200/- की धनराशि निकाल ली गयी थी । उक्त निकाली गयी धनराशि की जांच में पता चला कि अपराधियों द्वारा 'Phone-Pay' और 'Mobikwik' नामक कैश वैलट में तथा 'Flipkart' के माध्यम से ऑनलाइन खरीददारी की गयी । श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उक्त के क्रम में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त दोनों वैलेटों को फ्रीज कराया गया तथा Flipkart के माध्यम से ऑनलाइन खरीददारी को भी निरस्त कराते हुए रू0-10000/- (रू0 हजार मात्र) फरियादी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बैंक के बचत खाते में वापस करा दिया गया ।

पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में कार्य कर रही साइबर पुलिस टीम ने बताया कि साइबर फ्राड होने की दशा मे यदि फरियादी साइबर ठगी होने के 24 घण्टे के अन्दर सूचना देता है तो 'फ्राड' किये गये पैसो की वापसी की सम्भावना अधिक रहती है।

साइबर फ्राड से बचाव का तरीका-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री राजीव नारायण मिश्र द्वारा बताया गया कि आज के आधुनिक परिवेश में सबसे अधिक साइबर फ्राड फोन करके O.T.P. (One Time Password) पूछकर पैसे निकालते समय ए0टी0एम0 कार्ड का नं0 व पासवर्ड चोरी करके ऑनलाइन वैलेटो के माध्यम से किया जा रहा जिससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि फोन पर किसी भी व्यक्ति को अपने खाते से सम्बन्धित जानकारी साझा न करें और एटीएम बूथ से पैसे निकालते समय बूथ में अकेले ही प्रवेश करे व अपना पासवर्ड छूपा कर दर्ज करें। अधिकतर साइबर अपराधी एटीएम बूथ में भीड़ का फायदा उठाकर साथ ही एटीएम बूथ के अन्दर प्रवेश कर जाते है। एवं सामने वाले व्यक्ति के पैसा निकालते समय ही उसका एटीएम कार्ड नं0 व पासवर्ड याद कर लेते है। जिसका भनक तक सामने वाले व्यक्ति को नही लगती है कि उसका एटीएम कार्ड नं0 व पासवर्ड चोरी हो गया है। यदि इस तरह का किसी भी प्रकार का शक हो तो तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दें।

एक वर्ष से फरार चल रहा हत्यारोपी 12,000 रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर महोदय श्री राजीव नारायण मिश्र के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री गौरव बंसवाल के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कसया कुशीनगर श्री रामदास प्रसाद के कुशल नेतृत्व में थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा, पंजीकृत मु0अ0स0 201/18 धारा 302 IPC मे वाछित व पुरस्कार घोषित अपराधी अभियुक्त जवाहिर पाण्डेय उर्फ तपेन्द्र पुत्र महेन्द्र पाण्डेय उर्फ सुरेन्द्र पाण्डेय सा0 टोला भलुही बोदरवार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर जो दिनांक 11/08/018 को ग्राम बेदूपार में रामकृपाल शास्त्री की हत्या कर फरार चल रहा था, को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण:-

1.SHO श्री के0के0 राणा थाना अहिरौली बाजार।
2.उ0नि0 श्री परमात्मा प्रसाद थाना अहिरौली बाजार।
3.उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर प्रजापति थाना अहिरौली बाजार।
4.हे0का0 संजय कुमार थाना अहिरौली बाजार।
5.का0 इन्द्रभान यादव थाना अहिरौली बाजार।
6.का0 अनिल कुमार सिंह थाना अहिरौली बाजार।
7.का0 शंखधर राय थाना अहिरौली बाजार।

- **अवैध शराब विक्रय / परिवहन / निष्कर्षण के विरुध्द की गयी कार्यवाही-**

थाना विशुनपुरा –

थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा 06 नफर अभियुक्तों 1-रूदल पुत्र विश्वनाथ, 2- गेन्दा पुत्र जमुना मुसहर व अन्य 04 नफर अभियुक्ता साकिनान ठाढीभार तरकुलवा टोला, विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब, व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर क्रमश: मु0अ0सं0 194/19 धारा- 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल- 02)**

<u>थाना जटहा बाजार –</u>

थाना जटहा बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त मनोज पुत्र दीनानाथ साकिन चीलकोड़ा आधार पट्टी थाना जटहा बाजार जनपद कुशीनगर को मु0अ0सं0 54/19 धारा 419/420/467/468/471/120B भादवि के अन्तर्गत गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>थाना विशुनपुरा –</u>

थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त राजा पुत्र याकूब साकिन परवन मडोरही थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को मु0अ0सं0 193/19 धारा 504/506/354B भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **वारंटीयों की गिरफ्तारी- (कुल- 02)**

<u>थाना तरयासुजान –</u>

थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी - रंगीला पुत्र बंशी मेहतर साकिन तमकुहीराज थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0न0 92/11 धारा 304/201 भादवि में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>थाना सेवरही –</u>

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी – सुभाष पुत्र सिहबोलन सिंह साकिन जबही दयाल थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0न0 343/08 धारा 504/506 भादवि व 3(1)10 ST/SC एक्ट में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **<u>जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-</u>**

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 23 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

- **कार्यवाही एक नजर में =**

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही कुल-46 वाहन से शमन शुल्क- रु0-13800 ।
2. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-02)
3. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-02)
4. वारंटियों की गिरफ्तारी- (कुल-02)
5. आबकारी अधिनियण में की गयी कार्यवाही मु0-01, अभि0-08, बरामदगी-40 लीटर कच्ची अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण।

मीडिया सेल
कुशीनगर।